

Regarding need to release funds under Border Area Development Programme in Banaskantha Parliamentary Constituency, Gujarat-Laid

श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर (बनासकांठा) : अवगत कराना है सरकार द्वारा Border Area Development Program (BADP) के अंतर्गत ग्रांट आवंटित किया जाता था। परंतु अंतिम बार वर्ष 2019 ? 2020 के लिए ग्रांट आवंटित हुआ था। उसके बाद ग्रांट को रोक दिया गया। जबकि 19 ?20 की यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सभी जिलों द्वारा भेज दिए गए। उसके बाद वर्ष 2020-2021 के लिए सरकार द्वारा कार्य योजना भी मंगवा ली गई परंतु उसके बावजूद भी ग्रांट आवंटन नहीं किया गया। जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास रुक गया है। यदि यह ग्रांट आवंटित किया जाता है तो इससे सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास दुबारा से शुरू हो सकेगा। मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा सहित पाटन और कच्छ जिले पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, जिसमे से मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के दो तालुका के 17 गाँव सम्मिलित है।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि BADP के अंतर्गत रुके हुए ग्रांट को दुबारा शुरू कराने एवं कुछ और गावों को इस प्रोग्राम के अंतर्गत सम्मिलित कराने की कृपा करें।